न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद जिला जयपुर

न अधिकारी का नाम :– बलबीर सिहं (R.A.S)

संख्या :– 106 / 2024

मुकदमा :– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

देनाक :– 21.08.2024

दिनांक :– 01/7/2025

उनवान

मंगलचन्द पुत्र सुखदेव (मृतक)

1 / 1. ओमप्रकाश पुत्र मंगलचन्द

1 / 2. लादूराम बागडा पुत्र मंगलचन्द

1 / 3. प्रेम देवी पुत्री मंगलचन्द

1 / 4. गोपाल लाल पुत्र मंगलचन्द(फौत)

1 / 4 / 1. लाली देवी पत्नी गोपाल।

1 / 4 / 2. नितेश शर्मा पुत्र गोपाल।

1 / 4 / 3. हीरा कुमारी शर्मा पुत्री गोपाल।

1 / 4 / 4. मीरा कुमारी पुत्री गोपाल।

1 / 4 / 5. सुमन बागडा पुत्री गोपाल।

समस्त जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी केरियाकाबास बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

..... प्राथी

बनाम

1. घासीराम पुत्र जयनारायण
2. छीतरमल दत्तक पुत्र रामे वरप्रसाद
3. भंवर लाल पुत्र राधाकिशन
4. रूकमणी पत्नी रामचन्द्र
5. रामदत्त पुत्र रामचन्द्र
6. सत्यनारायण पुत्र राधाकिशन
7. सरस्वती पत्नि रामेश्वरप्रसाद
8. सीताराम पुत्र राधाकिशन

समस्त जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम केरियाकावास, तहसील सागानेर जिला जयपुर।

9. विष्णु कुमार पुत्र दामोदर लाल जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी देवकरण की ढाणी, बगरू जयपुर।
10. पवन चौधरी रामकरण चौधरी जाति जाट निवासी 51 कीति सागर री मान्यावास न्यू सांगानेर मानसरोवर जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मौजमावाद जिला जयपुर।
12. उपपजीयक महोदय मौजमावाद तहसील मौजमावाद जिला जयपुर।

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

र्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी [illegible] से 9 बाद तामील सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। विपक्षी 10 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद जैन एड0 ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया कि [illegible] तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 10 का 5/6 हिस्सा है [illegible] अप्रार्थी संख्या 10 ने पूर्व खातेदार से अन्य खातेदारों की सहमति से क्रय कर मौके पर [illegible] पूर्व [illegible] काबिज थे उसी अनुसार काबिज काश्त है। पक्षकारान संयुक्त रूप से मौके पर काबिज नहीं होकर [illegible] सहमति से अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त है जिस अनुसार अप्रार्थी संख्या 10 [illegible] रास्ता देवला से बोराज के दक्षिण दिशा में उक्त भूमि स्थित है जिस पर अप्रार्थी संख्या10 खसरा 1250 के पूर्व में खसरा नम्बर 1251 के कुएं की ओर हिस्से पर उत्तर दक्षिण रास्ते की ओर मौके [illegible] काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 10 उपरोक्त भूमि पर जिस अनुसार सहमति से काबिज है [illegible] नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है अन्य हिस्सेदार इसी अनुसार पूर्व की ओर मौके पर काबिज है [illegible] हिस्से अनुसार उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1250, 1252 का विभाजन करवाने के अधिकारी है। खसरा 1251 गैर मुमकिन चाह है जो सभी पक्षकारान का संयुक्त रूप से है जिसका सभी पक्षकारान [illegible] उपयोग करते रहेंगे। अप्रार्थी संख्या 10 व अन्य खातेदार किसी भी भूभाग पर कब्जा करना नहीं चाहते है न कोई निर्माण कर रहे है प्रार्थी अन्य खातेदारान जो मौके पर आपसी सहमति से काबिज [illegible] चले आ रहे है उसमें मजाहमत करते हुये विधिवत विभाजन नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश [illegible] है जिससे पक्षकारान मौके पर आपसी सहमति से काबिज काश्त है उस अनुसार विभाजन करवाने के [illegible] कारी है जिस अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 1250, 1252 पर अप्रार्थी संख्या 10 पश्चिम की ओर [illegible] दक्षिण रास्ते के और संलग्न नक्शे में दर्शित पीले रंग के अनुसार काबिज है एवं शेष खातेदार इसी [illegible] सार पूर्व की ओर मौके पर रास्ते की ओर उत्तर दक्षिण काबिज है तथा इसी अनुसार विभाजन करवाने [illegible] अधिकारी है। किसी विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा नहीं कर रहे है बल्कि मौके पर आपसी सहमति से [illegible] जन अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान विवादित भूमि पर आपसी सहमति [illegible] मौके पर काबिज काश्त है उस अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र में [illegible] को ही बहस माने जाने का निवेदन किया । विपक्षी संख्या 10 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि [illegible] ग्रस्त भूमि पर आपसी सहमति से मौके पर काबिज काश्त है उस अनुसार विभाजन करवाने के [illegible] कारी है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] र्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिस पर 3 बिन्दुओं पर [illegible] [illegible] म दृष्टया मामला 2 सुविधा का संतुलन 3 अपूरणीय क्षति

उक्त बिन्दुओ के सम्बंध मे हमारा विवेचन व विनिश्चय निम्न प्रकार है

उप खण्ड अधिकारी मौजमाबाद (जयपुर)

प्रथम दृष्टया मामला :— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी का अवलोकन पर जाहिर होता है कि राजस्व ग्राम देवला खाता संख्या 415 के आराजी ख0 नम्बर 1250 रकबा 2.4100, आराजी ख0न0 1251 रकबा 0.0100 है0, आराजी ख0न0 1252 रकबा 1.6200 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 4.0400 है0 कृषि भूमि होकर प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या संख्या 1 से 10 के साथ रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होकर

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

जित भूमि है है जिसका प्रार्थी मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार विभाजन करवाना चाहता है। संख्या 10 का कथन है कि पक्षकारान मौके पर आपसी सहमति से काबिज काश्त है अतः अनुसार विभाजन किया जाना चाहिए। उक्त परिपेक्ष्य सन्दर्भ विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त 2018-19 p) RRT 531, 2020(2) RRT 1081, 2019(1) RRT 479 का अवलोकन किया गया। अवलोकन पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या की संयुक्त आराजीयात होकर अविभाजित है। जिनका विभाजन का वाद प्रार्थीगण द्वारा पेश गया जिसे साक्ष्य ग्रहण करने के उपरान्त ही निर्णीत किया जा सकेगा। किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य दग्रस्त भूमियो के सम्बन्ध मे उभयपक्षो के हक व अधिकारों के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की जन की अंतिम डिक्री मूल वाद में गुणावगुण पर अंतिम रूप से जारी की जायगी। अप्रार्थीगण मौके पर वाहमी बंटवारे व विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा सुर्पुदगी के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज व पेश नही किये है। अतः इस स्थिति में मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमियां को खुर्द–बुर्द से रोका जाना,प्रकरण में आगे वाद वाहुल्यता उत्पन्न होने और अन्य विधिक जटिलताएँ उत्पन्न से रोकना पूर्णतया अपेक्षित व न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार प्रथम या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता।

धा का संतुलन :– जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज सार प्रथम दृष्टया मामले अनुसार ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे पाया जाता है। अतः धा का संतुलन का विन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

रणीय क्षति :– जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे मूल द विभाजन का प्रस्तुत कर रखा है। जिसमे साक्ष्य ग्रहण करने के पश्चात प्रारम्भिक डिक्री जारी की कर विभाजन का निर्धारण किया जाना है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार विपक्षीगण दग्रस्त भूमि के विक्रय/अन्तरण पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि के विक्रय/अन्तरण होने पर पूरणीय क्षति प्रार्थीगण को कारित होने की संभावना है। अतः अपूरणीय क्षति का विन्दु प्रार्थीगण के क्ष मे निर्णित किया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत है।

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक ण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अरथायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि रत आराजीयात की मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)
मौजमाबाद जिला जयपुर

आदेश आज दिनांक 01/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(बलवीर सिंह R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला जयपुर
मौजमाबाद (जयपुर)